न्यायालय संख्या–1

उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा अधिकरण, इन्दिरा भवन, लखनऊ

उपस्थितः– मा0 न्यायमूर्ति श्रीमती साधना रानी (ठाकुर), अध्यक्ष।

दावा याचिका संख्या–1825/2025

राम चन्द्र यादव, पीएनओ नं0–970920331, आयु लगभग 48 वर्ष, पुत्र श्री राज मन यादव, निवासी ग्राम–भीटी हरदो, पोस्ट–तुमपार, खलीलाबाद, जनपद–सन्त कबीर नगर, उत्तर प्रदेश।

..... याची

बनाम

1. उ0प्र0 सरकार द्वारा अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 सिविल सचिवालय,लखनऊ।
2. पुलिस उप महानिरीक्षक, गोरखपुर परिक्षेत्र, गोरखपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, जनपद–कुशीनगर।

..... विपक्षीगण

श्री राजीव पाण्डेय ,याची के अधिवक्ता।
श्री पारिजात मिश्र, विद्वान प्रस्तुतकर्ता अधिकारी, विपक्षीगण की ओर से।

निर्णय

(द्वारा मा0 न्यायमूर्ति श्रीमती साधना रानी (ठाकुर), अध्यक्ष।)

याची की ओर से यह याचिका उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4 के अन्तर्गत दण्डादेश दिनांकित 10–04–2025 एवं अपील निरस्तीकरण आदेश दिनांकित 07–07–2025/06–07–2025 जो पत्रावली पर क्रमशः संलग्नक संख्या–1 एवं 2 के रूप में मौजूद हैं को निरस्त करने एवं इन आदेशों के आधार पर रोके गये सेवा सम्बन्धी समस्त पारिणामिक लाभ दिये जाने हेतु दिनांक 14–10–2025 को प्रस्तुत की गयी।

2– आदेश दिनांकित 10–04–2025 द्वारा विपक्षी संख्या–3–पुलिस अधीक्षक जनपद–कुशी नगर ने याची को 15 दिवस के वेतन से अनधिक अर्थदण्ड से दण्डित किया, उक्त दण्डादेश के विरूद्व याची द्वारा दाखिल अपील विपक्षी संख्या–2–पुलिस उप महानिरीक्षक, गोरखपुर

परिक्षेत्र, गोरखपुर द्वारा आदेश दिनांकित 07–07–2025/06–07–2025 द्वारा द्वारा निरस्त की गयी।

3– तथ्य के अनुसार विपक्षीसंख्या–3–पुलिस अधीक्षक, जनपद–कुशीनगर ने कारण बताओ नोटिस दिनांकित 25–11–2024 जारी करते हुए याची को निम्न आरोप से आरोपित किया–

> ''जब आप वर्ष 2024 में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर थाना कोतवाली हाटा, जनपद कुशीनगर पर नियुक्त थे, तो थाना कोतवाली हाटा पर दिनांक 23–03–2024 को मु0अ0सं0–232/2024 धारा 354ए/506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट बनाम् अंकित कुशवाहा व उसके घरवालों के सम्बन्ध में पंजीकृत होकर विवेचना आपको सुपुर्द हुई। विवेचना के कम में पीड़िता द्वारा बयान अन्तर्गत धारा 161/164 सीआरपीसी में स्पष्ट रूप से गलत काम का वीडियो बनाने की बात अंकित करायी गयी, परन्तु आप द्वारा उक्त वीडियों को प्राप्त करने का प्रयास नही किया गया और ना ही गिरफ्तारी हेतु कोई सार्थक प्रयास किया गया व पर्चा 01 से 07 तक किता करने के 15 दिवस के उपरान्त पर्यवेक्षण/विवेचना हेतु प्रस्तुत किया गया। अभियोग में विवेचक द्वारा धारा–376 भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट व 3/45 पास्को एक्ट की बढ़ोत्तरी के उपरान्त भी धारा 354ए भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट की विवेचना में प्रचलित रखा गया। विवेचक द्वारा बरती गयी लापरवाही के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकारी कसया द्वारा रिपोर्ट प्रेषित की गयी, जिस पर पुलिस अधीक्षक के आदेश के कम में प्रा0 जॉच सुपुर्द हुयी। जॉच के कम में आप द्वारा अपने अभिकथन में बताया गया कि विवेचना के कम में साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण न होने के कारण आरोपी की गिरफ्तारी नहीं किया गया, पर्चे दिनांक 15–04–2024 को जरिये पैरोकार द्वारा प्रेषित किया गया, परन्तु पेशी कार्यालय द्वारा स्वयं उपस्थित होने हेतु बताया गया व धारा घटोत्तरी के सम्बन्ध में बताया गया कि अग्रिम विवेचना क्षेत्राधिकारी स्तर के कारण धारा 354ए भादवि व 7/8 पास्को एक्ट का लोप नहीं किया जाना बताया गया। तत्समय के डाक रनर द्वारा अपने अभिकथन में बताया गया कि दिनांक 15–04–2024 को मु0अ0सं0–232/2024 धारा 376 भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट, 3/4 पास्को एक्ट के पर्चा संख्या–01 से 07 तक दिनांक 15–04–2024 को पेशी कार्यालय ले जाया गया, जहॉ पेशी कर्मी द्वारा एससी/एसटी एक्ट की वृद्वि होने के कारण विवेचक को स्वयं लेकर आने हेतु बताया गया, जिस पर डाक रनर द्वारा उक्त सूचना जरिये मोबाइल विवेचक को देते हुए वापस थाना कार्यालय को सुपुर्द करना बताया गया। जॉच से पाया गया कि मु0अ0सं0–232/2024 धारा 376 भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट व 3/4 पास्को एक्ट की विवेचना में विवेचक उप निरीक्षक श्री रामचन्द्र यादव द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी हेतु कोई सार्थक प्रयास नहीं किया गया। दिनांक 02–04–2024 को पीड़िता खुशबू की सत्यापित

> अनुसूचित जाति प्रमाण–पत्र प्राप्त होने के पश्चात् भी 10 दिवस विलम्ब से धारा एससी/एसटी एक्ट की वृद्वि की गयी व डाक रनर द्वारा दिनांक 15–04–2024 को जरिये दूरभाष सूचना दी गयी कि मुकदमा उपरोक्त में एससी/एसटी एक्ट की वृद्वि होने के कारण आप स्वयं कार्यालय आये, परन्तु आप द्वारा विलम्ब से पर्चे पेशी कार्यालय में प्रेषित किया गया, जिसके लिए आपको दोषी पाया गया है। आपका यह कार्य अपने पदेन दायित्वों के निवर्हहन में स्वेच्छाचारिता, लापरवाही एवं अर्कमण्यता का परिचायक रहा।''

उक्त नोटिस की प्रति दिनांक 07–12–2024 को प्राप्त करने के बाद याची ने अपना लिखित स्पष्टीकरण दिनांकित 16–12–2024 को प्रस्तुत किया। याची द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण, पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं प्रारम्भिक जांच आख्या का अवलोकन कर आदेश दिनांकित 10–04–2025 पारित कर विपक्षीसंख्या–3–पुलिस अधीक्षक, जनपद–कुशीनगर द्वारा याची को 15 दिवस के वेतन से अनधिक अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, इस दण्डादेश के विरूद्व याची की अपील विपक्षीसंख्या–2–पुलिस उप महानिरीक्षक, गोरखपुर परिक्षेत्र, गोरखपुर के आदेश दिनांकित 07–07–2025/06–07–2025 द्वारा निरस्त की गयी।

4– याची पक्ष से आरोप के जवाब में तर्क लिया गया कि विवेचना के कम में उनके द्वारा साक्ष्य संकलन की जा रही थी जिससे अभियुक्त की गिरफ्तारी नही की गयी। विवेचना में धारा बढ़ोत्तरी के उपरान्त आरोपी अंकित कुशवाहा को उसके द्वारा दिनांक 17–06–2024 को गिरफ्तार किया गया तथा उसके कब्जे से मोबाइल जिससे उसने पीड़िता का वीड़ियो बनाया बताया गया, बरामद किया गया एवं नियमानुसार सीलड़ कर विभागीय कार्यवाही हेतु थाना कार्यालय में दाखिल किया गया। साक्ष्य के आधार पर धारा बढ़ोत्तरी के उपरान्त चूंकि विवेचना क्षेत्राधिकारी स्तर से की जानी थी, अतः उसके द्वारा धारा–354ए भारतीय दण्ड विधान व 7/8 पाक्सो एक्ट का लोप नही किया गया। उसके द्वारा पूर्व में दिनांक 15–4–2024 को पत्रावली पेशी कार्यालय प्रेषित करने हेतु थाने में जमा की गयी थी किन्तु पेशी कार्यालय ने किसी कारण से उसे न लेते हुए वापिस कर दिया, जिसके सम्बन्ध में याची ने जांच अधिकारी के समक्ष डाक रजिस्ट्री की छायाप्रतियां उपलब्ध करायी एवं वह स्वयं समस्त पत्रावली लेकर पेशी कार्यालय में उपस्थित हुआ तथा क्षेत्राधिकारी महोदय को उक्त पत्रावली उपलब्ध कराई। पीड़िता का जाति प्रमाण पत्र गैर जनपद गोरखपुर से प्राप्त करना था, अतः उक्त प्रमाण पत्र प्राप्त

करके उसके द्वारा एससी/एसटी की धारा का इजाफा किया गया तथा पीड़िता के विश्वास एवं बयान के आधार पर अभियोग में धारा–376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट की वृद्वि की गयी। क्षेत्राधिकारी महोदय के समक्ष विवेचना अग्रसारित करने से पूर्व ही अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गयी, अतः लगाये गये आरोप गलत हैं। तदनुसार प्रश्नगत दण्डादेश दिनांकित 10–04–2025 एवं इसके पश्चात्वर्ती पारित अपील निरस्तीकरण आदेश दिनांकित 07–07–2025/06–07–2025 को विधि सम्मत एवं नैसर्गिक न्याय के अनुकूल न होने के कारण उन्हें निरस्त करने तथा याचिका को स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

5– विपक्षी पक्ष से कथन किया गया कि जांच अधिकारी ने पाया कि याची द्वारा मु0अ0सं0232/2024 धारा–376 भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट व 3/4 पास्को एक्ट की विवेचना में आरोपी की गिरफ्तारी हेतु कोई प्रयास नही किये गये। दिनांक 02–04–2024 को पीड़िता के सत्यापित अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद भी 10 दिन बाद एससी/एसटी एक्ट की धारा की वृद्वि की गयी। डाक रनर द्वारा दिनांक 15–4–2024 को बजरिये दूरभाष सूचना देने पर कि एससी/एसटी की वृद्वि होने के कारण विवेचक स्वयं कार्यालय आये, इसके बावजूद विवेचक याची द्वारा विलम्ब से पर्चे पेशी कार्यालय प्रेषित किये गये, अतः याची के विरूद्व पारित प्रश्नगत दण्डादेश दिनांकित 10–04–2025 एवं अपीलीय आदेश दिनांकित 07–07–2025/06–07–2025 के पारित करने में किसी नियम, कानून अथवा प्रकिया का उल्लंघन न होना बताते हुए इनमें किसी हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं बताया गया एवं याचिका को निरस्त करने की प्रार्थना की गयी।

6– उपरोक्त अभिकथनों पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के कथनों को सुनने एवं पत्रावली का सम्यक अवलोकन करने के पश्चात मैं निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुॅचती हूॅ–

7– याची पर निम्नलिखित आरोप हैः

(1) पीड़िता द्वारा अपने 161/164 सीआरपीसी के बयानों में उसके साथ हुए गलत काम का वीडियो बनाने की बात आने के बावजूद याची द्वारा कथित वीडियो को प्राप्त करने व अभियुक्त की गिरफ्तारी किये जाने का कोई सार्थक प्रयास नही किया गया।

(2) अभियोग में विवेचक द्वारा धारा–376 भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट व 3/4 पाक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी के उपरान्त भी याची द्वारा दिनांक–354ए भादवि एवं 7/8 पाक्सो एक्ट की विवेचना प्रचलित रखी गयी।

(3) याची द्वारा की गयी विवेचना के दैनिकी पर्चा संख्या– 1 लगायत 7 को डाक रनर द्वारा दिनांक 15–4–2024 को पेशी कार्यालय ले जाने पर उसे पेशी कर्मी द्वारा एससी/एसटी एक्ट की धारा की वृद्वि हो जाने के कारण विवेचक को स्वयं लेकर आने हेतु बताया गया, जिस पर डाक रनर द्वारा उक्त सूचना बजरिये दूरभाष याची को दी गयी एवं पर्चे थाना कार्यालय वापिस दिये गये, इसके पश्चात् याची द्वारा दिनांक 29–4–2024 को विलम्ब से पर्चे पेशी कार्यालय में प्रेषित किये गये।

(4) दिनांक 02–04–2024 को पीड़िता के अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति प्राप्त होने के पश्चात् भी 10 दिन विलम्ब से दिनांक 12–4–2024 को अभियोग में धारा–एससी/एसटी एक्ट की धारा की वृद्वि की गयी।

8– जहॉ तक प्रथम आरोप का प्रश्न है स्वीकृत रूप से प्रार्थिनी ने अपने 161 सीआरपीसी के बयानों में दिनांक 28–03–2024 को तथा धारा–164 सीआरपीसी के बयान दिनांक 30–03–2024 को अपने साथ हुए गलत काम का वीड़ियों बनाने की बात कही। उक्त धारा–164 में सीआरपीसी के बयानों का याची द्वारा दिनांक 06–04–2024 को अवलोकन करना बताया किन्तु दिनांक 06–04–2024 के बाद भी याची द्वारा अभियुक्त को दिनांक 17–06–2024 को गिरफ्तार किया गया एवं मोबाइल, जिससे उसने पीड़िता के साथ हुए गलत काम की वीडियो बनायी थी, को बरामद कर सील कर विधिक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया। तत्काल याची को गिरफ्तार न करने का कारण याची ने अपनी साक्ष्य में बताया कि साक्ष्य संकलन की कार्यवाही प्रचलित होने के कारण उसके द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी नही की जा रही थी। विवेचना में धारा–376 भादवि व एससी/एसीटी एक्ट की धारा और पाक्सो एक्ट की धाराओं की बढ़ोत्तरी के उपरान्त अभियुक्त अंकित कुशवाहा को उसके द्वारा दिनांक 17–06–2024 को गिरफ्तार किया गया। याची का यह कथन नही है कि उसके द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे थे किन्तु अभियुक्त की गिरफ्तारी सम्भव नही हो पा रही थी, बल्कि उसके कथनानुसार साक्ष्य संकलन की कार्यवाही प्रचलित होने के कारण उसके द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा था।

स्वीकृत रूप से प्रार्थिनी की धारा–161 व 164 सीआरपीसी के बयान होकर धारा–164 के बयानों का अवलोकन याची द्वारा दिनांक 06–04–2024 को कर लिया गया जिससे उसे पीड़िता के साथ गलत काम होने तथा अभियुक्त द्वारा उक्त कृत्य की वीड़ियो बना लेने की जानकारी दिनांक 06–04–2024 को हो गयी तथा जनपद गोरखपुर से याची द्वारा दिनांक 12–04–2024 को पीड़िता के अनुसूचित जाति का होने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया, इसके बाद भी याची द्वारा अभियुक्त को दिनांक 17–06–2024 को गिरफ्तार किया गया। साक्ष्य संकलित हो चुनने की दिनांक 12–04–2024 से 17–06–2024 तक के मध्य अभियुक्त को गिरफ्तार न करने का कोई कारण याची पक्ष से स्पष्ट नही किया गया। साक्ष्य संकलन की कार्यवाही के दौरान अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं की जा सकती, ऐसा भी कोई नियम, कानून अथवा रिवाज नही है जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि याची द्वारा अभियुक्त के विरूद्व साक्ष्य अधिकतम दिनांक 12–04–2024 तक संकलित कर लेने के बाद भी उसके द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी साक्ष्य संकलन के 02 माह से अधिक समय बाद तथा मुकदमा दर्ज होने के लगभग पौन तीन माह पश्चात् की गयी जो कि कानून की मंशा कदापि नही है।

9– आरोप कि याची द्वारा अभियोग में धारा–376 भादवि, 3(2)5एससी/एसटी एक्ट व 3/4 पाक्सो एक्ट की वृद्वि के बाद भी विवेचना को धारा–354ए भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट में प्रचलित रखा गया, इस सम्बन्ध में याची द्वारा अपनी साक्ष्य में कथन किया गया कि क्योंकि धारा की बढ़ोत्तरी के उपरान्त अभियोग की विवेचना क्षेत्राधिकारी स्तर से हो जाने के कारण अन्तिम निर्णय क्षेत्राधिकारी महोदय द्वारा ही लिया जाना था, ऐसी स्थिति में उसके द्वारा अभियोग से धारा–354ए भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट का लोप नही किया गया।

10– स्वीकृत रूप से याची द्वारा पीड़िता के बयानों का अवलोकन करके तथा सत्यापित अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र प्राप्त करके एवं पीड़िता की हाईस्कूल की प्रमाण पत्र की छायाप्रति प्राप्त करने के उपरान्त अभियोग में धारा–376 भादवि, 3(2)5एससी/एसटी एक्ट व 3/4 पाक्सो एक्ट की वृद्वि की गयी जिससे स्पष्ट है कि धारा–376 भादवि की वृद्वि होने से धारा–354ए भादवि की अहमियत नही रह जाती है एवं धारा–3/4 पाक्सो एक्ट की वृद्वि हो जाने के कारण दिनांक 7/8 पाक्सों एक्ट की कोई भूमिका नही रह जाती। अतः याची को चाहिए था कि वह धारा–376 भादवि व 3(2)5एससी/एसटी एक्ट व 3/4 पाक्सो

एक्ट की धाराओं में वृद्वि करने के साथ साथ धारा–354ए भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट का लोप करता जो उसके द्वारा नही किया गया। याची द्वारा अपने बचाव में लिया गया यह आधार कि धाराओं की बढ़ोत्तरी के उपरान्त अभियुक्त की विवेचना क्षेत्राधिकारी स्तर से हो जाने के कारण तथा अभियोग में अन्तिम निर्णय क्षेत्राधिकारी माहेदय द्वारा लिया जाना विधि सम्मत होने के कारण उसके द्वारा अभियोग से धारा–354ए भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट का लोप नही किया गया कदापि स्वीकार होने योग्य नही है, क्योंकि यह विधि का प्रतिपादित सिद्वान्त है कि बड़ी धाराओं की वृद्वि होने पर छोटी धाराएं साथ–साथ ही अभियोग से विलोपित कर दी जाती है जो कि याची द्वारा नही किया गया।

11– जहॉ तक याची पर यह आरोप है कि उसने विवेचना के पर्चे नम्बर–1 लगायत 7 समय से पेशी कार्यालय में प्राप्त नही कराये। यद्यपि याची का जांच अधिकारी के समक्ष इस सम्बन्ध में कथन है कि उसने उक्त समस्त पर्चे दिनांक 15–04–2024 को डाक रनर को दिये थे किन्तु उसने किसी कारणवश पेशी कार्यालय में प्राप्त न कराके वापिस कर दिए जिसके बाद उसने स्वयं पेशी कार्यालय में उपस्थित होकर उक्त दस्तावेज दिये। वहीं अपने स्पष्टीकरण में याची ने कहा कि समस्त अभियोग दैनिकियों को थाना कार्यालय स्तर से एसई कार्यालय में उपलब्ध न कराये जाने के कारण याची द्वारा स्वयं के स्तर से उपरोक्त दैनिकियां पेशी कार्यालय में उपलब्ध करायी गयी। इस सम्बन्ध में जांच अधिकारी के समक्ष हुए कान्सटेबिल नागेन्द्र कुमार सिंह के बयान अवलोकनीय है जिसमें उसने कहा कि पूर्व में वह थाना–हाटा में नियुक्त था जहॉ लोअर कोर्ट/क्षेत्राधिकारी कार्यालय डाक उसके द्वारा देखी जाती थी वह दिनांक 15–4–2024 को क्षेत्राधिकारी पेशी कसया डाक लेकर गया था जिसमें उप निरीक्षक रामचन्द्र यादव याची के द्वारा मु0अ0सं0–232/2024 के सीडी पर्चा सं0 1 लगायत 07 मय कागजात कुल 42 वर्क लेकर क्षेत्राधिकारी पेशी कार्यालय कसया पहुँचा तो क्षेत्राधिकारी कार्यालय द्वारा उसे बताया गया कि फाइल में एस/एसटी की वृद्वि हो जाने से विवेचक स्वयं फाइल लेकर आये। जिस पर उसने तत्कालीन विवेचक याची को फोन करके बताया कि उसे स्वयं फाईल लेकर क्षेत्राधिकारी कार्यालय पेश होना है एवं उसके द्वारा पत्रावली थाना कार्यालय में वापिस कर दी गयी जिससे स्पष्ट है कि दिनांक 15–04–2024 को डाक रनर, कान्सटेबिल नागेन्द्र कुमार सिंह द्वारा

याची की विवेचना के समस्त पर्चे एवं पत्रावली क्षेत्राधिकारी कार्यालय में दाखिल करने हेतु देने से एससी/एसटी में बढ़ोत्तरी के कारण उक्त पर्चे स्वयं विवेचक को क्षेत्राधिकारी कार्यालय में पेश करने थे यह जानकारी कान्सटेबिल नागेन्द्र कुमार सिंह द्वारा याची को दी जाने से याची का यह कथन गलत सिद्व हो जाता है कि उसने समस्त पर्चे थाने में समय से दाखिल कर दिये थे जो थाने से समय से पेशी कार्यालय में नहीं भेजे गये। स्वीकृत रूप से दिनांक 15–04–2024 को याची की विवेचना की समस्त पत्रावली थाने पर वापस होने के बाद भी याची द्वारा उक्त समस्त पर्चो की पत्रावली पेशी कार्यालय में दिनांक 29–04–2024 को उपलब्ध करायी गयी जो कि पुनः कानून के विरूद्व है। क्योंकि जहां याची को समस्त पर्चे उन्हें किता करने की दिनांक को ही थाना कार्यालय में प्राप्त कराने एवं क्षेत्राधिकारी कार्यालय से दिनांक 15–4–2024 को समस्त अभियोग दैनिकियों व पत्रावली वापस प्राप्त होने पर याची द्वारा अभियोग दैनिकियों एवं फाईल को दिनांक 15–4–2024 के बाद दिनांक 29–04–2024 को क्षेत्राधिकारी पेशी कार्यालय को प्राप्त कराया गया, उक्त दिनांक 15–4–2024 से दिनांक 29–04–2024 तक की 14 दिन की देरी को याची द्वारा कदापि व्याख्यित नही किया गया एवं डाक रनर द्वारा याची को दिनांक 15–4–2024 को यह सूचना देने के बाद कि अभियोग में एससी/एसटी की धारा का इजाफा हो जाने से उक्त दैनिकियां विवेचक याची द्वारा स्वयं पेशी कार्यालय में देनी है से का याची का कथन कि उसके पर्चे थाने में रखे रहे एवं उन्हें वहॉ से सही समय पर क्षेत्राधिकारी पेशी कार्यालय में प्रेषित नहीं किया गया, गलत सिद्व हो जाता है। परिणामतः याची द्वारा समय से समस्त अभियोग दैनिकियां एवं पत्रावली क्षेत्राधिकारी पेशी कार्यालय में उपलब्ध न कराना बाखूबी सिद्व है।

12– याची पर यह भी आरोप है कि उसने पीड़िता के अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति दिनांक 02–04–2024 को प्रापत कर ली इसके बाद भी उसके द्वारा दिनांक 12–04–2024 को अभियोग में एससी/एसटी की धाराओं की वृद्वि की गयी। इस सम्बन्ध में याची पक्ष से तर्क लिया गया कि उक्त प्रमाण पत्र गैर जनपद गोरखपुर से प्राप्त करना था इसलिए इस सम्बन्ध में देरी हुई किन्तु जांच अधिकारी एवं स्वयं याची के अनुसार भी उसके द्वारा पीड़िता का सत्यापित अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र तहसीलदार सदर, जनपद–गोरखपुर से दिनांक 02–04–2024 को प्राप्त किया गया एवं स्वीकृत रूप से एससी/एसटी

की धाराओं की वृद्वि याची द्वारा दिनांक 12–04–2024 को की गयी। दिनांक 02–04–2024 को प्रमाण पत्र के सत्यापित प्रति प्राप्त होने के पश्चात! भी याची द्वारा एससी/एसटी की धारा का इजाफा करने में 10 दिन का समय क्यों लिया गया, इस सम्बन्ध में याची द्वारा कदापि कोई स्पष्टीकरण नही दिया गया जिससे पुनः याची पर उक्त आरोप दण्डाधिकारी द्वारा सही पाया जाना उचित है।

13– इस सम्बन्ध में दण्डाधिकारी द्वारा पारित दण्डादेश दिनांकित 10–04–2025 का अवलोकन किया गया तो इसमें दण्डाधिकारी द्वारा याची के स्पष्टीकरण को पूर्ण रूप से अंकित एवं विवेचित किया जाना तथा निष्कर्ष तक पहुॅचने का भी उचित कारण अंकित किया जाना पाया गया जिससे उक्त दण्डादेश एक मुखर व सकारण पारित आदेश कहा जायेगा।

14– जहॉ तक जांच अधिकारी द्वारा इन्सपेक्टर के बयान न लिये जाने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में डाक रनर के बयान जांच अधिकारी के समक्ष हुए जिसमें याची द्वारा की गयी विवेचना के पर्चे दिनांक 15–04–2024 को पेशी कार्यालय लाकर दिये जाने बताए गये, जिससे जांच अधिकारी द्वारा इन्सपेक्टर के साक्ष्य अंकित किये जाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। तदनुसार याची पक्ष के तर्को में कोई बल नही पाया जाता है। परिणामस्वरूप दण्डादेश दिनांकित 10–04–2025 एवं इसके पश्चात्वर्ती पारित अपीलीय आदेश दिनांकित 07–07–2025/06–07–2025 को मुखर व सकारण पारित आदेश पाते हुए उक्त आदेशों द्वारा किसी नियम, कानून एवं प्रकिया का उल्लंघन होना नही पाया जाता है। तदनुसार उक्त आदेश में हस्तक्षेप का कोई औचित्य नही है। याची की याचिका होने योग्य है।

आदेश

याची की याचिका निरस्त की जाती है। उभयपक्ष वाद व्यय स्वयं वहन करेगे।

ह0
(न्यायमूर्ति साधना रानी ठाकुर)
अध्यक्ष

यह निर्णय आज खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित किया गया।

ह0
(न्यायमूर्ति साधना रानी ठाकुर)
अध्यक्ष

दिनांक : 19–08–2026/आरपी/पीएस